होली पर रंगों से सजी दुकान

बच्चों को लुभा रही है डोरेमोन और प्रेशर गन की पिचकारी

डोईवाला (दैनिक हाक): होली रंगों का त्यौहार का पास आते ही बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है! होली पर डोरेमोन,प्रेशर गन के अलावा टैंक स्पाइडर–मैन, मैजिक ग्लास, विभिन्न प्रकार के मास्क युवा और बच्चों को लुभा रही है और साथ विभिन्न प्रकार की हाईटेक पिचकारी का बाजार में उपलब्ध है! रेलवे रोड व्यापारी सतपाल गोयल ने बताया कि होली के त्योहार पर इस बार दुकानदारों को अच्छा खासा व्यापार होने की उम्मीद है! होली पर हाईटेक पिचकारी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है! अबीर गुलाल उड़ाने के लिए खास मैजिक रैंबो मशीन भी बाजार में ग्राहकों को लुभा रही है! बच्चों के लिए खास मैजिक गुब्बारा मैजिक कलर आइटम पार्टी पापड़ अमीर और मुखोटे भी बाजार में उपलब्ध है! किराना व्यापारी अपूर्व गोयल ने बताया कि होली पर लोग पकवान बनाने के लिए सामान की खरीदारी कर रहे हैं! होली का त्यौहार आने पर बाजार सरपट दौड़ने लगा है!

चकराता छोड़ अब लोखंडी हिल स्टेशन का रुख कर रहे पर्यटक, दिल्ली से महज साढ़े छह घंटे की दूरी पर मौजूद

देहरादून, एजेंसी।
पर्यटन स्थल के रूप में चकराता से ज्यादा लोखंडी की पहचान बन रही है। इस बार सीजन के सात हिमपात होने के कारण चकराता से ज्यादा पर्यटक लोखंडी पहुंचे और बर्फबारी का आनंद लेने के बाद लौट गए। जिसके चलते लोखंडी क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बने, साथ ही रिसार्ट, होटल व होमस्टे व्यवसाय को भी बढ़ावा मिला। लोखंडी दिल्ली से मजह साढ़े छह घंटे की दूरी पर स्थित है।

इस साल मुख्य चकराता में बर्फबारी नाममात्र की हुई। जब भी ठीक ठाक बर्फबारी हुई तो वह लोखंडी क्षेत्र में ही हुई, क्योंकि लोखंडी क्षेत्र चकराता से काफी ऊंचाई वाले स्थान पर है। जिसके चलते पिछले कई साल से लोखंडी क्षेत्र में ही बर्फबारी होने की वजह से पर्यटक अब सीधे लोखंडी का ही रुख करते हैं और चकराता में काफी कम पर्यटक आते हैं।

गर्मी में जहां टाइगर फाल पर ज्यादा पर्यटक दिखाई देते हैं, वहीं सर्दी में पर्यटकों की मुख्य पसंद लोखंडी बनता जा रहा है। नैसर्गिक सौंदर्य से भरपूर लोखंडी लोहारी गांव पर्यटन मानचित्र पर पहचान बनाने में कामयाब हो रहा है। पर्यटन से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी खुले।

चकराता से मात्र बीस किमी की दूरी पर घने बांज, बुरांश व देवदार के जंगलों के बीच 85 सौ फीट की ऊंचाई पर स्थित लोहारी-लोखंडी गांव कभी पूरे जौनसार-बावर परगने की आर्थिक गतिविधियों का केंद्र रहा था।

क्षेत्रीय ग्रामीण बहादुर सिंह, कुंवर सिंह, रतन सिंह, मोर सिंह, शेर सिंह, रमेश चौहान, श्याम सिंह, मोहन सिंह, धर्म सिंह, प्रताप सिंह, रोहन राणा आदि बताते हैं कि लौह खददानों के कारण पहले लोखंडी की पहचान थी, अब पर्यटन की दिशा में अपनी पहचान बना रहा है, लेकिन इससे सटे बुधेर, कोटी-कनासर, मोइला टॉप, देववन, खडंबा, मुंडाली जैसे पर्यटन स्थल बेहद खूबसूरत होने के बाद भी सरकार ने विकसित नहीं किए। बुधेर जाने के लिए सिर्फ कच्चा मार्ग है। मोइला टॉप के लिए मार्ग नहीं होने के चलते यहां पहुंचने के लिए खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है।

लोहारी में लोहे की खदानें बड़ी मात्रा में पाई जाती थीं। जिनसे स्थानीय काश्तकार लोहे से बनने वाले घरेलू उपकरण व औजार बनाते थे। लोहे की खदानों व उनसे निर्मित होने वाले औजारों के चलते ही गांव का नाम लोहारी-लोखंडी पड़ा। आज भी गांव व उसके आसपास के क्षेत्रों में लोहे की खदानों के अवशेष मिलते हैं।

गांव की ऐतिहासिक महत्ता व पर्यटन की दृष्टि से उत्तम स्थिति को देखते हुए राज्य गठन के बाद प्रदेश की सरकारों ने इसे पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित करने का वादा किया, लेकिन एतिहासिक प्रमाण पर ध्यान नहीं दिया।

ग्रामीणों का कहना है कि जौनसार बावर व जौनपुर की रवाई घाटी के लोग भी पुराने समय में लोखंडी लोहारी में पहाड़ों को खोदकर पत्थर पिघला कर लोहा बनाते थे। अपने कृषि औजार एवं अन्य कामों में लाते थे। जिस कारण यहां का नाम पहले लोहा गांव पड़ा, लेकिन अब लोहारी बोला जाने लगा।

देवभूमि उद्यमिता योजना प्रशिक्षण का हुआ समापन, स्वरोजगार हेतु छात्र/छात्राओं ने सीखे उद्यमिता के गुरु

महाविद्यालय हमेशा छात्र/छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रयासरतः प्राचार्य

कोटद्वार (दैनिक हाक): भक्त दर्शन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जयहरीखाल में बारह दिवसीय देवभूमि उद्यमिता योजना प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज समापन हुआ। इस मौके पर उपस्थित उद्यमियों, रिसोर्स पर्सन व अतिथियों द्वारा अपने अनुभवों को छात्र छात्राओं से साझा करते हुए उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया गया।

सोमवार को महाविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में नोडल अधिकारी डा. विक्रम सिंह ने विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत कर बताया कि इस योजना के माध्यम से छात्र छात्राओं को उद्यमिता के विभिन्न पहलुओं जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, बही खाता और नवाचार के बारे में प्रशिक्षित किया गया। उन्होंने कहा कि यह योजना युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

देवभूमि उद्यमिता योजना के परियोजना अधिकारी सरवेंद्र रावत (ईडीपी) ने छात्र/छात्राओं को उत्पाद की लेबलिंग, ब्रांडिंग और पैकेजिंग में मदद करने का आश्वासन दिया। वहीं, सहायक समन्वयक (डीडीपी) रश्मि ने कहा कि उनका उद्देश्य छात्र छात्राओं को बाजार तक पहुंच प्रदान करना है।

महाविद्यालय के प्राध्यापक डा. ध्यानी ने श्रम की महत्ता पर बल देते हुए कहा कि परिश्रम से ही ज्ञान प्राप्त होता है। उन्होंने खेती को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। डा. रावत ने कार्यक्रम के सफल आयोजन की बधाई दी और स्वरोजगार को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्राध्यापक डा. वीके सैनी ने कार्यक्रम की सफलता पर उपस्थितजनों को बधाई देते हुए धरोहरों को संभालने और संवारने की आवश्यकता पर बल दिया। वहीं, वरुण कुमार ने छात्र छात्राओं को बताया कि एक सफल उद्यमी बनने के लिए अध्ययन करना बहुत जरूरी है। मूल व्यावसायिक व्यवहारों का ज्ञान लेकर ही एक सफल उद्यमी बना जा सकता है।

महाविद्यालय की प्राचार्य डा. लवली रानी राजवंशी ने आयोजित कार्यक्रम की सफलता पर उपस्थितजनों को बधाई देते हुए कहा कि यह योजना युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि देवभूमि उद्यमिता योजना के तहत आयोजित इस कार्यक्रम ने छात्र छात्राओं को न सिर्फ उद्यमिता के गुर सिखाए जे बल्कि उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित भी किया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को अपने सपनों को साकार करने का अवसर मिला तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय हमेशा छात्र छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रयासरत रहेगा।

कार्यक्रम में उपस्थित रंजना असवाल, आरती व विमल रावत ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि इस योजना के माध्यम से उन्हें व्यवसाय के नए आयामों को समझने और अपने उद्यम को बढ़ाने में मदद मिली है। होम स्टे व्यवसायी विमल रावत व उपस्थित अन्य उद्यमियों ने अपने अनुभव साझा कर छात्र छात्राओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया।

महाविद्यालय में उद्यमिता प्रशिक्षण ले रहे छात्र छात्राओं ने इस योजना को प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि उन्हें मार्केटिंग, फाइनेंस और सफल उद्यमियों के अनुभवों से बहुत कुछ सीखने को मिला है।

इस अवसर पर महाविद्यालय की प्रभारी प्राचार्य डा. प्रीति रावत एवं महाविद्यालय के प्राध्यापक एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

प्रदेश में आपातकालीन सेवाओं के लिए बनेगा स्वास्थ्य परिचालन केंद्र, चारधाम यात्रियों को मिलेगी मदद

देहरादून, एजेंसी।
चारधाम यात्रा की शुरुआत इस बार 30 अप्रैल से हो रही है। अभी तक यात्रा के दौरान आपात स्थिति में तत्काल स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अपना परिचालन केंद्र नहीं है। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य परिचालन केंद्र को मंजूरी दे दी है। इसके लिए पांच करोड़ की राशि केंद्र सरकार की ओर से दी जाएगी।

चारधाम यात्रा के दौरान आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी के लिए पहली बार उत्तराखंड में स्वास्थ्य परिचालन केंद्र बनाया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। लगभग पांच करोड़ की लागत से इस केंद्र को स्थापित किया जाएगा।

इस बार चारधाम यात्रा की शुरुआत 30 अप्रैल से हो रही है। यात्रा के दौरान उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ठंड के साथ

ऑक्सीजन की कमी से तीर्थ यात्रियों की अचानक तबीयत बिगड़ने से हार्ट अटैक का खतरा रहता है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से चारधाम यात्रा मार्ग पर 26 मेडिकल रिस्पांस प्वाइंट व 50 स्क्रीनिंग सेंटर बनाए जाते हैं।

इसके अलावा मार्गों पर स्थायी स्वास्थ्य केंद्र व अस्पताल भी हैं। लेकिन अभी तक यात्रा के दौरान आपात स्थिति में तत्काल स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अपना परिचालन केंद्र नहीं है। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य परिचालन केंद्र को मंजूरी दे दी है। इसके लिए पांच करोड़ की राशि केंद्र सरकार की ओर से दी जाएगी।

स्वास्थ्य विभाग ने परिचालन केंद्र के लिए महानिदेशालय में जगह उपलब्ध करा दी है। प्रदेश सरकार का प्रयास है कि चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले परिपालन केंद्र को संचालित किया जाए। जिससे एक ही जगह से चारधामों में स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी हो सकेगी। इसके साथ ही आपात स्थिति में किसी श्रद्धालुओं को हायर सेंटर रेफर करना है या एयर लिफ्ट की आवश्यकता है तो परिचालन केंद्र से त्वरित कार्रवाई की जाएगी।

परिचालन केंद्र से 24 घंटे चारधाम यात्रा के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी की जाएगी। अभी तक यह व्यवस्था नहीं थी। केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में पहली बार यह केंद्र स्थापित किया जा रहा है। इस बार हमारा प्रयास है कि यात्रा के दौरान किसी भी तीर्थयात्री की मौत न हो।

नवनियुद्र भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र तड़ियाल का कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत

– जिम्मेदारी पर खरा उतारने का करूंगा प्रयासः राजेंद्र तड़ियाल

डोईवाला (दैनिक हाक): भाजपा ऋषिकेश जिलाध्यक्ष पद पर राजेंद्र तड़ियाल की ताजपोशी होने से भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष राजेंद्र तड़ियाल जिला ने महामंत्री के अलावा विभिन्न पदों पर बखूबी दायित्व निभा चुके हैं। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष राजेंद्र तडियाल नगर चौक पहुंचने पर मंडल अध्यक्ष पंकज शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं, मिठाई खिलाकर और आतिशबाजी जलाकर भव्य स्वागत किया। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष राजेंद्र तड़ियाल ने कहा कि जिलाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपने के लिए उन्होंने शीर्ष नेतृत्व,वरिष्ठ नेताओं और समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए कहा कि पार्टी नेतृत्व ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है। उसमें वह खरा उतरने का प्रयास करेंगे! मंडल अध्यक्ष पंकज शर्मा ने कहा कि राजेंद्र तडियाल को जिलाध्यक्ष बनने से संगठन को मजबूती मिलेगी! भाजपा नेतृत्व में नवनियुक्त जिला अध्यक्ष राजेंद्र तडियाल की कर्मठा, निष्ठा, कार्य शैली को देखकर जिलाध्यक्ष पद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी! सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने से नई पद की मिली जिम्मेदारी का ठीक से निर्वाह करेंगे। इस मौके पर राज्य मंत्री करन बोहरा,वरिष्ठ कार्यकर्ता ईश्वर चंद अग्रवाल, उषा कोठारी, सभासद ईश्वर रोथाण , परविंदर सिंह बाउ ,संजीव सैनी, मनोज कम्बोज, विशाल क्षेत्री, मंगल रोथाण, जसविंदर सिंह डाली, विनीत राजपूत मनीष क्षेत्री , सुरेश सैनी, रामकिशन,सोनू गोयल, मनीष नारंग, अवतार सिंह सैनी,अनिल चौहान, कैलाश जोशी, संपूर्णानंद थपलियाल, चंद्र बल्लभ लखेड़ा आदि मौजूद रहे!

उत्तर रेलवे

निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से प्रवर मण्डल अभियन्ता/मुख्यालय/मुरादाबाद द्वारा ई टेन्डर निम्न टेन्डर संख्या के अर्न्तगत आमंत्रित किये जाते है। धरोहर राशि का भुगतान निविदादाता द्वारा केवल **IREPS** पोर्टल पर उपलब्ध नेट बैकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि के माध्यम से आनलाइन भुगतान करना होगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर चैक, डिपाजिट रसीद आदि स्वीकार्य नही होंगे। टेन्डर से संबंधित अन्य जानकारी वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर देखें।

Tender No. Date	344-DRM-MB-24-25 dt. 10.03.25	346-DRM-MB-24-25 dt. 10.03.2025
Name of Work	Supply of ballast on cess in MB-CH & CH-HGJ sections under Sr.DEN/HQ/MB	Development and provision of office complex, boundary wall and sanitation work in STM workshop in south Colony/MB in the section of ADEN/HQ/MB.
Tender Closing Date Time	04.04.2025	04.04.2025
Advertised Value (Rs.)	1,96,39,500.00	1,17,03,100.14
Earnest Money (Rs.)	2,48,200.00	2,08,500.00
Tender Cost (Rs.)	Nil	Nil
Bidding Start Date	21.03.2025	21.03.2025
Period of Completion	06 Months	06 Months

टेन्डर नं- 75-W/2/3/WA/Publication दिनांक : 10.03.2025 758/2025

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

सिक्योरिटाईजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 (अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

अनु. क्र.	कर्जदाता (ओं) का नाम (ए)	गिरवी संपत्ति(यों) का विवरण (बी)	एन.पी.ए की तारीख (सी)	बकाया राशि (रू.) (डी)
1.	कर्ज खाता क्र. HHLHDW00541559 1. कल्पना 2. राज कुमार	खसरा नंबर 22 एमआई, प्लॉट नंबर 65 पर निर्मित मकान साईं धाम कॉलोनी दादूपुर में स्थित है, गोविंदपुर परगना, रुड़की, तहसील और जिला हरिद्वार–249402, उत्तराखंड।	03.01.2025	रू. 30,97,285.75/- (रुपए तीस लाख सत्तानवे हजार दो सौ पचासी और पचहत्तर पैसे मात्र) 03.02.2025 के अनुसार

कि ऊपर लिखे नाम वाला उधार लेने वाला(ले) ने ऋण खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम बिजनेस चर्या में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पाने वाले (लों) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी हुई है।

उधार लेने वाले(लों) की ओर से ऋण धनराशि का पुनर्भुगतान में लगातार चूक होने के कारण उधार लेने वाले(लों) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा सीमांकित मापदंडो के भीतर निष्पादनेतर परिसंपत्तियों (स्तंभ सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वगीकृत किया गया है। परिणामस्वरूप प्रत्येक उधार लेने वाले को अधिनियमन की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचनाएं भी जारी की गई है।

उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए कंपनी एतद्द्वारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लों) का आहवान करती है कि, वे इस सूचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के भीतर अद्यतन ब्याज, लागतें, तथा शुल्कों सहित ऊपर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान करके कंपनी के प्रति बनने वाले अपने / उनके पूर्ण दायित्वों का निर्वहन करें, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उल्लिखित बंधक रखी गई संपत्ति को अधिग्रहीत करने के लिए कंपनी पात्र होगी।

कृपया ध्यान दें कि सरफेसी कानून की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार, ''कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करते हुए, सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा किए गए सभी खर्चों, लागतों और प्रभारों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयावधि के अंदर सुरक्षित आस्ति का मोचन करने में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपत्ति का मोचन करने के लिए पात्र नहीं हो सकता''

सरफेसी अधिनियमन की धारा 13 की उप–धारा (13) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पट्टे के माध्यम से अन्यथा नोटिस में उल्लिखित अपनी सुरक्षित संपत्तियों में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित हैं।

कृते सम्मान कैपिटल लिमिटेड
(पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
स्थान : हरिद्वार
प्राधिकृत अधिकारी

नोट : हमारा स्वमान फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से कोई संबंध नहीं है।

TATA

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 11वां तल, टावर ए, पेनिंसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई 400013
शाखा का पता: टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड 59/3, द्वितीय तल, आईडीबीआई बैंक के ऊपर राजपुर रोड, देहरादून उत्तराखण्ड पिन कोड- 248001

अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिये बिक्री सूचना

(प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9(1) के साथ पठित नियम 8(6) के अन्तर्गत

प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली, 2002 के नियम 8(6) तथा नियम 9 (1) के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये 15 दिनों की ई–नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक/सह–ऋणधारक को सूचित किया जाता है कि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि. (टीसीएचएफएल) के पास गिरवी नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि. (प्रतिभूति क्रेडीटर) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा कर लिया गया है, कुल राशि की वसूली के लिये **'जैसा है जहां है' एवं 'जो भी वहां है' तथा 'जो भी जैसा है'** के आधार पर **28.03.2025** को बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि का विवरण नीचे वर्णित है। एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बिक्री के स्थगन/रोकने की अनुपस्थिति में उक्त सम्पत्ति की ई–नीलामी **28.03.2025** को 2:00 बजे अपरान्ह में की जाएगी। ई–नीलामी में भाग लेने के लिए ईएमडी के डिमाण्ड ड्राफ्ट के साथ टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि. के प्राधिकृत अधिकारी को बन्द लिफाफे में **27.03.2025** को **5.00 बजे सांय** तक अथवा उससे पूर्व शाखा कार्यालय **टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, 59/3, द्वितीय तल, आईडीबीआई बैंक के ऊपर, राजपुर रोड, देहरादून उत्तराखण्ड, पिन कोड- 248001,** पर जमा होगी।

सुरक्षित / अचल सम्पत्ति की बिक्री 'जैसा है जहां है' के आधार पर निम्न वर्णित संक्षिप्त विवरणानुसार की जाएगी।

क्र. सं.	ऋण खाता सं. एवं शाखा	ऋणधारक/सह-ऋणधारकों/ कानूनी उत्तराधिकारी(ओं)/ कानूनी प्रतिनिधी (यों)/गारंटर(रों) का नाम	मांग सूचना के अनुसार राशि	आरक्षित मूल्य	धरोहर धनराशि	कब्जे का प्रकार	तिथि 03.03.2025 को बकाया
1.	1049 0219	श्री विशाल सिंह पुत्र श्री उदय पाल सिंह श्री जीवन चन्द्र पाण्डेय उर्फ जीवन चन्द्र पुत्र श्री कौस्तुबा नंद पाण्डेय मै. नैनी ऑटो टेक द्वारा उसके पार्टनर्स, श्रीमती शुचि भारद्वाज पत्नी श्री सौरभ भारद्वाज श्रीमती गीता साह उर्फ गीता पत्नी हरीश चंद्र साह,	रु. 1,13,49,174/- (रुपये एक करोड़ तेरह लाख उन्चास हजार एक सौ चौहत्तर मात्र) --------- 05-04-2023	रु. 90,00,000/- (रुपये नब्बे लाख मात्र)	रु. 9,00,000/- (रुपये नौ लाख मात्र)	भौतिक	रु. 1,50,04,138/- (रुपये एक करोड़ पचास लाख चार हजार एक सौ अड़तीस मात्र)

अचल सम्पत्ति का विवरण: बिक्री प्रलेख में वर्णित सभी सामूहिक सुविधाओं के साथ ग्राम जयदेवपुर, परगना भावर 6 खाता, तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड) में स्थित खाता नं. 650, खसरा नं. 60 मिन (फसल वर्ष 1420–1425) में शामिल आवासीय सम्पत्ति माप 1980 वर्ग फीट अर्थात् 184.01 वर्ग मी. (60'x66') की सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दी: पूर्व: अन्य व्यक्ति की भूमि, पश्चिम: 9.41 मी. (30 फीट) चौड़ा रोड, उत्तर: किरण अरोड़ा की भूमि, दक्षिण: सुमित जोशी की भूमि।

क्र. सं.	ऋण खाता सं. एवं शाखा	ऋणधारक/सह-ऋणधारकों/ कानूनी उत्तराधिकारी(ओं)/ कानूनी प्रतिनिधी (यों)/गारंटर(रों) का नाम	मांग सूचना के अनुसार राशि	आरक्षित मूल्य	धरोहर धनराशि	कब्जे का प्रकार	तिथि 03.03.2025 को बकाया
2.	10515859 & 10531767	श्री राम प्रवेश कुमार सिंह उर्फ राम प्रवेश सिंह पुत्र श्री शिव देव सिंह श्रीमती उषा देवी पत्नी श्री रामप्रवेश कुमार सिंह	ऋण अनुबंध संख्या 10515859 के अन्तर्गत रू. 12,30,818/- (रुपये बारह लाख तीस हजार आठ सौ अठारह रुपये मात्र) की राशि आप पर बकाया तथा देय है तथा अनुबंध संख्या 10531767 के अन्तर्गत रू. 7,42,574/- (रुपये सात लाख बयालिस हजार पांच सौ चौहत्तर मात्र) की राशि आप पर बकाया तथा देय है, अर्थात् कुल रू. 19,73,392 रुपये (रूपये उन्नीस लाख तिहत्तर हजार तीन सौ बानवे मात्र) --------- 11-11-2022	रु. 15,90,000/- (रुपये पन्द्रह लाख नब्बे हजार मात्र)	रु. 1,59,000/- (रुपये एक लाख उनसठ हजार मात्र)	भौतिक	अनुबन्ध सं. 10515859 के अन्तर्गत रु. 18,49,656/- (रुपये अठारह लाख उनचास हजार छह सौ छप्पन मात्र) आप पर बकाया तथा आपके द्वारा देय है तथा अनुबन्ध सं. 10531767 के अन्तर्गत रु. 11,54,791/- (रुपये ग्यारह लाख चौवन हजार सात सौ इक्यानवे मात्र) की राशि आप पर बकाया तथा आपके द्वारा देय है, अतः कुल रु. 30,04,447/- (रुपये तीस लाख चार हजार चार सौ सैंतालीस मात्र) की राशि आप पर बकाया तथा देय है।

अचल सम्पत्ति का विवरण: बिक्री प्रलेख में वर्णित सभी सामूहिक सुविधाओं के साथ ग्राम फुलसुंगा, तहसील किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड में स्थित खसरा संख्या 198 मिन (प्रा. प्लॉट नं. 130 का आधा भाग), एरिया माप 60.40 वर्ग मी. (20'X32½') में शामिल आवासीय सम्पत्ति का सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दी: पूर्व: प्रा. प्लाट संख्या 130 का भाग, पश्चिम: प्रा. प्लाट संख्या 131, का भाग, उत्तर: रोड, दक्षिण: बानाबन्दी कॉलोनी।

इस नीलामी में सर्व–साधारण को व्यक्तिगत रूप से अपनी बोली जमा करने के लिये आमंत्रित किया जाता है। ऐसे किसी भी अधिकारी अथवा व्यक्ति जिन्हें इस बिक्री के सिलसिले में किसी कर्तव्य का निर्वहन करना हो, वे बिक्री की जाने वाली अचल सम्पत्ति को अर्जित करने अथवा कोई हित अर्जित करने का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बोली करने का कोई भी प्रयास नहीं करेंगे।

यह बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 में निर्दिष्ट शर्तों तथा अधोलिखित शर्तों के अधीन होगी।

नोट: ई–नीलामी बिक्री उपरोक्त लिखित तिथि को 5 मिनट प्रत्येक के सीमित विस्तार के साथ पोर्टल **http://bankauctions.in/** के माध्यम से 28.03.2025 को अपराह्न 2:00 बजे से 3:00 बजे तक आयोजित की जायेगी।

नियम एवं शर्तें:– 1. संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत किये गये हैं, लेकिन इस उद्घोषणा में किसी गलती अथवा खामी के लिये अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे। यदि बोली राशि अथवा बोलीदाता से सम्बन्धित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो लॉट को फिर से नीलामी पर प्रस्तुत किया जायेगा। 2. आरक्षित मूल्य से कम में सम्पत्ति की बिक्री नहीं की जायेगी। 3. बोली वृद्धि राशि रू. 10,000/- (रूपये दस हजार मात्र) होगी। 4. सम्पत्ति की खरीद के लिये जमा की गई सभी निविदाओं के साथ **'टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि.'** के पक्ष में शाखा कार्यालय के पते पर देय भुगतान योग्य डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा धरोहर राशि संलग्न की जायेगी। असफल बोलीदाता का डिमाण्ड ड्राफ्ट नीलामी के बाद वापस लौटा दिया जायेगा। अग्रिम धनराशि एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस द्वारा जमा करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क करें। 5. उच्चतम बोलीदाता को इसी लॉट का क्रेता घोषित किया जाएगा बशर्ते वे कानूनी रूप से बोली करने के लिये योग्य हों तथा उनके द्वारा जमा राशि आरक्षित मूल्य से कम नहीं हो। यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्ट रूप से अपर्याप्त होता है तथा ऐसा करना व्यावहारिक नहीं होता है तो प्राधिकृत अधिकारी स्वेच्छा से उच्चतम बोली को अस्वीकार कर सकते हैं। 6. दर्ज कारणों से प्राधिकृत अधिकारी को स्वेच्छा से बिक्री को स्थगित करने/रोकने का अधिकार है। 7. अचल सम्पत्ति का निरीक्षण 18.03.2025 को 11 बजे पूर्वा. से 5.00 बजे सायं तक पूर्व नियुक्ति पर किया जा सकता है। 8. सफल क्रेता घोषित किये जाने वाले व्यक्ति को प्राधिकृत अधिकारी के पास 25 प्रतिशत क्रय मूल्य जिसमें ईएमडी राशि शामिल है, का भुगतान 24 घण्टे के भीतर करना होगा तथा उसे जमा करने में विफल होने पर सम्पत्ति की फिर से नीलामी/निजी संधि द्वारा बिक्री की जायेगी। 9. यदि उपरोक्त रूप से आरम्भिक जमा की जाती है तो शेष क्रय मूल्य का भुगतान क्रेता को सम्पत्ति की बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिनों के भीतर, उस दिन को छोड़कर, अथवा यदि 15 वां दिन अवकाश या रविवार होता है तो पन्द्रहवें दिन के बाद प्रथम कार्यालय दिवस में प्राधिकृत अधिकारी के पास करना होगा। 10. उपरोक्त अवधि में भुगतान में चूक करने पर सम्पत्ति की फिर से नीलामी/निजी संधि के द्वारा सम्पत्ति की फिर से बिक्री की जायेगी। ईएमडी सहित जमा की गई राशि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि. के लिये जब्त कर ली जायेगी तथा चूक करने वाले क्रेता उस सम्पत्ति अथवा उस राशि के किसी भाग से वंचित हो जाएंगे जिसके लिये बाद में उसकी बिक्री की जायेगी। 11. टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि. को ज्ञात ऐसे किसी अधिभारों का विवरण जो सम्पत्ति पर देय है: उपरोक्त तालिका के अनुसार। सम्पत्ति पर प्रस्तुत की गई दावे तथा उस प्रकृति एवं मूल्य के अन्य किसी ज्ञात अधिकारों का विवरण: ऊपर तालिका के अनुसार, इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि सांविधिक देयताओं, सम्पत्ति कर, बिजली के बकाये आदि सहित सम्पत्ति पर अधिभारों से सम्बन्धित अपनी स्वयं की स्वतन्त्र जांच कर लें। 12. अन्य किसी विवरणों अथवा संभावित बोलीदाता को ई–नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए क्लाइन्ट सर्विस डेलीवरी (सीएसडी) विभाग, हमारे बिक्री एवं विपणन तथा ई–नीलामी सेवा प्रदाता, M/s. 4Closure, Block No.605 A, 6th Floor, Maitrivanam Commercial Complex, Ameerpet, Hyderabad - 500038 Email : info@bankauctions.in अथवा मनीष बंसल, Email id Manish.Bansal@tatacapital.com प्राधिकृत अधिकारी मोबाइल नं. 8588983696 से सम्पर्क किया जा सकता है। कृपया अपनी पूछताछ whatsApp नंबर–9999078669 पर भेजें। 13. उच्चतम बोलीदाता पर 1% टीडीएस लागू होगा जो उसे उच्चतम घोषित बोली की धनराशि पर देय होगा। इस धनराशि को उसे स्वामी/ऋणकर्ता के PAN में जमा करना होगा और चालान की प्रति कम्पनी को देनी होगी। 14. उपरोक्त विवरणों के लिये कृपया प्रतिभूत क्रेडीटर की वेबसाईट में दी गई लिंक **website https://surl.li/axqoav** देखें। 15. कृपया लिंक पर भी जाएं https://www.tatacapital.com/property-disposal.html

कृपया ध्यान दें: टीसीएचएफएल ने इस सम्पत्ति की बिक्री के लिये उपरोक्त वर्णित बिक्री सहभागी के अतिरिक्त किसी दलाल/प्रतिनिधि को नियुक्त नहीं किया है। इच्छुक व्यक्ति को समस्त प्रकार की जानकारी के लिए केवल अधोलिखित प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क करना चाहिए।

स्थान: उत्तराखण्ड
दिनांक: 11.03.2025

ह./- प्राधिकृत अधिकारी,
टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड